



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15888

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 1822/2026

श्रीमती मीरायाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्यार्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गणेश शंकर दुबे

प्रत्यार्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यार्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यार्थियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यार्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज को वाद संख्या 3759/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या 202402030803759) (मेवा लाल बनाम राजकरण) में दायर पुनरुद्धार आवेदन संख्या 596/2023 को शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश देना है।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामला प्रत्यार्थी संख्या 2 के समक्ष काफी समय से लंबित है और पर्याप्त समय बीत चुका है लेकिन आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को प्रत्यार्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील मेजा, जनपद प्रयागराज को उपरोक्त वाद में दायर पुनरुद्धार आवेदन को विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रत्यार्थी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो, तय करने का निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026/सकलन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"